

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर०के० विद्यापीठ इण्टर कॉलेज,
नरैनी बांदा।

पत्रांक: मा०शि०प०/क्ष०का०प्र०/मान्यता/

651

दिनांक 05-7-2025

विषय: सीधे (कक्षा-6 से 10 तक) / (कक्षा-9 व 10) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने शासनादेश संख्या 516(3)/15-7-2025-1(02)/2025 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 25 जून 2025 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित-2022) की धारा-7(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था आर०के० विद्यापीठ इण्टर कॉलेज नरैनी बांदा को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में सीधे हाईस्कूल कक्षा-6 से 10 तक की नवीन मान्यता सभी अनिवार्य विषयों सहित परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2027 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायेँ।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति के साथ विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने निजी स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (4) विद्यालय संचालन हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक समस्त व्यय भार प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित 2022) की धारा 7(4) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था में निर्धारित मानकों के विपरीत यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मानकों की पूर्ति सम्बन्धी आख्या देने वाले जनपदीय/मण्डलीय अधिकारी व कार्मिक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ख) यदि प्रदत्त मान्यता के पश्चात् मान्यता प्रदान किये जाने के समय प्रस्तुत संस्था के मानकों में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे और तदनुसार कमी पाये जाने पर प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे।
- (घ) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।
- (ङ) हाईस्कूल की मान्यता सर्व प्रथम तीन वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी तदोपरान्त स्ववित्त पोषित संस्था द्वारा विद्यालय संचालन हेतु निर्धारित व्यवस्थाओं की समुचित उपलब्धता और मान्यता की शर्तों के अनुपालन की वस्तुस्थिति के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर परिषद् द्वारा पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा।
- (च) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय में योजित विलयरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

टिप्पणी- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,



क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

पृष्ठांकन सं०:मा०शि०प०/क्ष०का०प्र०/मान्यता/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा।
- 2- संयुक्त शिक्षा निदेशक, चित्रकूटधाम मण्डल चित्रकूट।
- 3- हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
- 4- उप सचिव, (सिस्टम सेल) मा०शि०प०, मुख्य कार्यालय, प्रयागराज।

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

प्रषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर०के० विद्यापीठ इण्टर कॉलेज,
नरैनी बांदा।

पत्रांक: मा०शि०प०/क्ष०का०प्र०/मान्यता/ 652

दिनांक 05-7-2025

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने शासनादेश संख्या 516(3)/15-7-2025-1(02)/2025 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 25 जून 2025 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित-2022) की धारा-7(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में इण्टर मानविकी एवं वैज्ञानिक वर्ग की नवीन मान्यता परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष-2027 से निम्नलिखित सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित 2022) की धारा 7(4) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन वर्गों की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (5) विद्यालय संचालन हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक समस्त व्यय भार प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित 2022) की धारा 7(4) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था में निर्धारित मानकों के विपरीत यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मानकों की पूर्ति सम्बन्धी आख्या देने वाले जनपदीय/मण्डलीय अधिकारी व कार्मिक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ख) यदि प्रदत्त मान्यता के पश्चात् मान्यता प्रदान किये जाने के समय प्रस्तुत संस्था के मानकों में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे और तदनुसार कमी पाये जाने पर प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (घ) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि ₹0 10,000/- (₹0 5000/-प्रति वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।
- (ङ) इण्टर की मान्यता सर्व प्रथम तीन वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी तदोपरान्त स्ववित्त पोषित संस्था द्वारा विद्यालय संचालन हेतु निर्धारित व्यवस्थाओं की समुचित उपलब्धता और मान्यता की शर्तों के अनुपालन की वस्तुस्थिति के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर परिषद् द्वारा पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा।
- (च) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय में योजित विलयरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग नवीन	हिन्दी	अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान
इण्टर मानविकी वर्ग नवीन	हिन्दी	संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, कम्प्यूटर, कला, गृह विज्ञान, भूगोल

टिप्पणी— इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

 क्षेत्रीय सचिव,
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
 क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

पृष्ठांकन सं०: मा०शि०प०/क्षे०का०प्र०/मान्यता/

दिनांक

- उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा।
 - 2- संयुक्त शिक्षा निदेशक, चित्रकूटधाम मण्डल चित्रकूट।
 - 3- उप शिक्षा निदेशक, चित्रकूटधाम मण्डल चित्रकूट।
 - 4- इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग मा०शि०प०, क्षे०का० प्रयागराज।
 - 5- उपसचिव, सिस्टम सेल मा०शि०प०, मुख्य कार्यालय, प्रयागराज।

/

क्षेत्रीय सचिव,
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
 क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।